गुप्तकालीन प्रशासन

By

Mandip kumar chaurasiya

Assistant professor(Guest)

Dept. of A.I.H. & Archaeology

Patna university, patna-800005

B.A. – II Year

Paper – IV Ancient Indian Polity(From Vedic Age to 647 A.D.)

- गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था पर हमें समकालीन अभिलेखों एवं साहित्यिक स्रोतों से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती हैं| इन्हीं स्रोतों से हमें गुप्त-शासको एवं उनके विशाल साम्राज्य की अत्यंत सुदृढ़ शासन व्यवस्था के भी बारे में जानकारी मिलती है| गुप्त राजाओं ने अपने पूर्वगामी शासकों के शासन प्रबंध को अपनाते हुवे उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन कर अपने समयानुकूल बनाया |

शासन व्यवस्था का स्वरूप

- **सामंत** – गुप्त शासकों के अनेक सामंतों का उल्लेख मिलता है| ये नृप, महराज आदि उपाधि भी धारण करते थे और अनेक राज्य में स्वतन्त्रतापूर्वक शासन भी करते थे| सामंत अलग सेना भी रखते थे जो समय समय पर युद्ध के समय राजा को सैनिक सहायता भी देते थे| ये सामंत राजकीय उत्सवो पर उपस्थित होकर सम्राट के वैभव को प्रदर्शित करते थे|

- गणराज्य – गुप्त साम्राज्य की अधीनता अनेक गणराज्यों ने स्वीकार की थी|

- अधीनस्थ राजा – दक्षिण भारत के अभियान के समय समुन्द्रगुप्त ने अनेक शासको को परास्त किया था किन्तु उनके राज्य को छिना नहीं था| ये शासक भी गुप्तो का अधिपत्य स्वीकार करते थे|

- सीमावर्ती एवं विदेशी शासक – अनेक सीमावर्ती एवं विदेशी शासक भी गुप्तों का अधिपत्य स्वीकार करते थे|

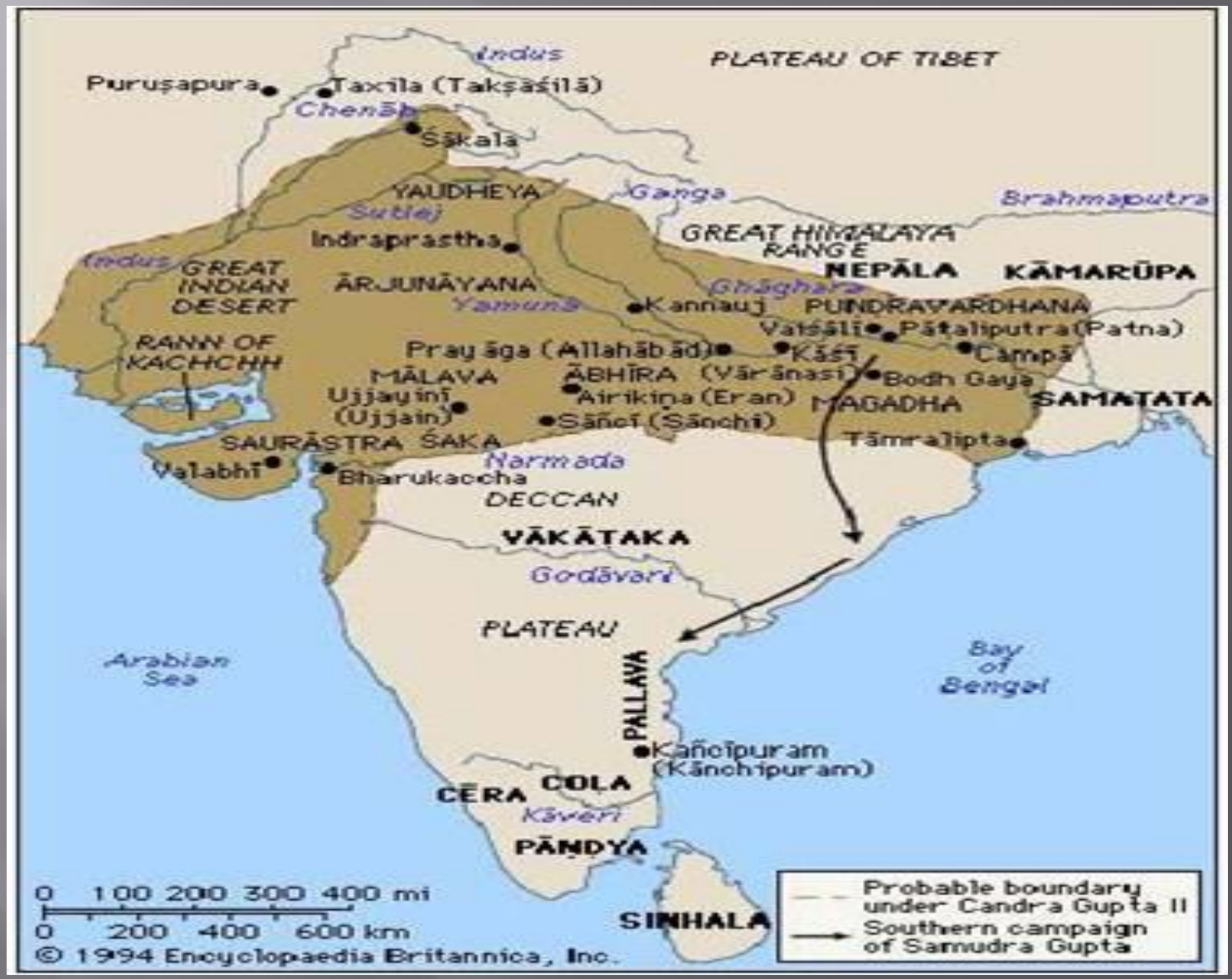
Indus
PLATEAU OF TIBET
Puruṣapura
Taxila (Takṣaśilā)
Chenāb
Śākalā
YAUDHEYA
Sutlej
Ganga
Brahmaputra
Indraprastha
GREAT HIMALAYA RANGE
NEPĀLA
KĀMARŪPA
Indus
GREAT INDIAN DESERT
ĀRJUNĀYANA
Yamunā
Ghāghara
Kannauj
PUNDRAVARDHANA
Vaiśālī
Pāṭaliputra (Patna)
RANN OF KACHCHH
Prayāga (Allahābād)
Kāśī
Campā
MĀLAVA
ĀBHĪRA
(Vārānasi)
Bodh Gaya
Ujjayinī (Ujjain)
Airikiṇa (Eran)
MAGADHA
SAMATATA
Sāñcī (Sānchi)
SAURĀSTRA ŚAKA
Tāmraliptа
Narmada
Valabhī
Bharukaccha
DECCAN
VĀKĀTAKA
Godāvari
PLATEAU
Arabian Sea
Bay of Bengal
PALLAVA
Kañcīpuram (Kānchipuram)
CĒRA
COḶA
Kāveri
PĀṆḌYA
SINHALA
0 100 200 300 400 mi
0 200 400 600 km
© 1994 Encyclopaedia Britannica, Inc.
Probable boundary under Candra Gupta II
Southern campaign of Samudra Gupta

केंद्रीय शासन

- सम्राट
- मंत्री-परिषद्
- केंद्रीय कर्मचारी
- सैन्य संगठन
- पुलिस विभाग
- आय-व्यय के साधन
- न्याय एवं दण्ड व्यवस्था

सम्राट

- प्रत्येक विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था|
- राजा को देव तुल्य तथा पृथ्वी पर इश्वर का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया जाता था|
- राजा युद्धों में सेना का संचालन करता था तथा आमात्यो एवं मंत्रियों की सहायता से शासन करता था|
- राजा का सारा समय प्रशासनिक कार्यों के लिए विभाजित रहता था|

मंत्रि-परिषद

- राजा को प्रशासनिक कार्यों में सहायता देता था|
- परिषद् के सदस्यों को आमात्य, सचिव अथवा मंत्री कहा जाता था|
- मंत्रियों का पद वैसे प्राय: पैतृक होता था|
- गुप्तकालीन प्रमुख मंत्रियों में हरिषेंण (समुन्द्रगुप्त का), शिखरस्वामी (चन्द्रगुप्त द्वितीय के) तथा पृथ्वीसेन (कुमारगुप्त का) हैं|

केंद्रीय कर्मचारी

- गुप्तशासन प्रणाली में नौकरशाही का विशेष महत्व था| केन्द्रीय शासन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित होता था जिनके अध्यक्ष उच्च पदाधिकारी होते थे|
- गुप्त काल में कुमारामात्य नामक महत्वपूर्ण अधिकारी होता था|
- अन्य केंद्रीय कर्मचारियों में प्रमुख-सर्वाध्यक्ष, महाप्रतिहार, महासेनापति, अग्रहारिक, गौल्मिक आदि थे|
- कर्मचारियों को वेतन नगद के रूप में तथा कुछ कर्मचारियों को भूमि के रूप में भी वेतन मिलता था|

सैन्य संगठन

- राजा सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था|
- राजा के पश्चात् सेना का सर्वोच्च अधिकारी सेनापति होता था जिसे महादन्डनायक भी कहा जाता था|
- महादन्डनायक के अतिरिक्त अनेक उपसेनापति भी होते थे|
- सेना के चार अंग- हस्ति, अश्व, रथ एवं पदाति होते थे|
- गुप्त काल में नौ-सेना भी विधमान थी|
- युद्धों के समय गुप्तो के सामंत भी सैनिक सहायता प्रदान करते थे|

पुलिस विभाग

- देश के आन्तरिक शांति और सुरक्षा के लिए पुलिस-विभाग था|
- इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी ‘दण्डपाशिक’ होता था|
- पुलिस-विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट भाट अथवा ‘रक्षिन’ कहा जाता था|
- पुलिस के सहायता के लिए गुप्तचर भी होते थे|
- फाह्यान ने लिखा है कि भारत में अपराध बहुत कम होते थे, चोरी-डकैती का भय नहीं रहता था|

आय-व्यय के साधन

- राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था| भूमिकर को उपरीकर एवं उद्रंग कहा जाता था| अस्थाई कृषकों से उपरिकर एवं स्थाई कृषकों से लिए जाने वाले कर को उद्रंग कहते थे|
- उपज का जो हिस्सा राजा को दिया जाता था उसे 'भाग' कहते थे, जो कुल उपज का 1/6 भाग होता था|
- व्यापारियों से सीमा पर लिए जाने वाले कर को 'शुल्क' कहते थे|
- कारीगरों से उधोग कर लिया जाता था|

न्याय एवं दण्ड व्यवस्था

- न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था|
- राजा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता था|
- राजधानी में मुख्य न्यायाधीश होता था, उसके अधीन नगरों एवं ग्रामों के न्याय अधिकारी होते थे| न्यायालय को न्यायाधिकरण कहा जाता था|
- स्मृतियों से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में न्यायालयों की चार श्रेणियां- कुल, श्रेणी, पुग एवं राजा का न्यायालय था|
- उपरोक्त न्यायालयों के अतिरिक्त पंचायतें भी न्याय का कार्य करती थी|

प्रांतीय प्रशासन

- भुक्ति
- विषय
- नगर-प्रशासन
- ग्राम-प्रशासन

भुक्ति

- प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से गुप्त-साम्राज्य को अनेक प्रान्त में विभाजित किया गया था| प्रत्येक प्रान्त को भुक्ति, देश, भोग आदि कहा जाता था|
- गुप्त काल में उल्लेखनीय भुक्ति मगध, वर्धमान, पुण्डवर्धन, तिरभुक्ति, पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा, व सौराष्ट्र थे|
- प्रत्येक भुक्ति आधुनिक मंडल के सामान होती थी|
- प्रत्येक भुक्ति के सर्वोच्च अधिकारी को 'उपरिक' कहते थे|

विषय

- प्रत्येक भुक्ति अनेक विषयों में विभक्त थी| विषय आधुनिक जनपद के समान थे|
- विषय का सर्वोच्च अधिकारी 'विषयपति' कहलाता था| विषयपति की नियुक्ति उपरिक द्वारा होती थी|
- प्रशासन में विषयपति की सहायतार्थ एक समिति होती थी जिसमें चार सदस्य नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह, प्रथम कुलिक व प्रथम कायस्थ होते थे| इनके अतिरिक्त तीन पुस्तपाल होते थे, जो सभी विषयों का लेखा-जोखा रखते थे|

नगर-प्रशासन

- प्रत्येक विषय के अंतर्गत अनेक नगर होते थे|
- नगर का अधिकारी 'नगरपति' होता था|
- नगर की व्यवस्था के लिए एक व्यवस्था के लिए परिषद् होती थी| जो आधुनिक नगरपालिका के समान थी|
- इस परिषद का कार्य नगर में शांति की स्थापना, सभागृह, सरोवर, मंदिर बनवाना तथा अन्य सार्वजनिक कार्यों को करवाना था|

ग्राम-प्रशासन

- प्रशासन की न्यूनतम इकाई ग्राम थी| प्रत्येक नगर अनेक ग्रामों में विभक्त था|
- प्रत्येक ग्राम का अधिकारी 'ग्रामिक' कहलाता था|
- ग्रामिक की सहायतार्थ एक समिति होती थी जिसे ग्राम-सभा कहते थे|
- ग्राम-सभा का प्रमुख कार्य मुकदमों का निर्णय, भूमि की सीमा का निर्धारण, सार्वजनिक हित के कार्य, कृषि और सिचाई की उचित व्यवस्था करना था|

Thank You